झारखण्ड सरकार
कृषि एवं गन्ना विकास विभाग

पत्रांक : *रांची/दिनांकः*

प्रेषक,

अरूण कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

उपायुक्त (सभी)
झारखण्ड।

विषय : ***राज्य में प्रमाणित बीज उत्पादन हेतु बीज ग्रामों की स्थापना करने के संबंध में ।***

महाशय,

झारखण्ड राज्य की कुल 79.9 लाख हे0 भूमि में से मात्र 38 लाख हे0 भूमि खेती योग्य है जिसमें से मात्र 20 लाख हे0 भूमि पर खेती की जाती है।

राज्य में खरीफ एवं रबी फसलों के लिए निम्नांकित मात्रा में बीज की आवश्यकता है जिसका अधिकांश भाग राज्य के बाहर के संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराया जाता है जो निम्नांकित विवरणी से स्पष्ट होगा :

खरीफ मौसम

क्रमांक	*फसल (नाम)*	*क्षेत्रफल*	*बीज की आवश्यकता*	*राज्य द्वारा किया जा रहा वर्तमान उत्पादन*
1	***2***	***3***	***4***	***5***

रबी मौसम

क्रमांक	*फसल (नाम)*	*क्षेत्रफल*	*बीज की आवश्यकता*	*राज्य द्वारा किया जा रहा वर्तमान उत्पादन*
1	***2***	***3***	***4***	***5***

उल्लेखनीय है की प्रमाणित बीज उत्पादन आर्थिक रूप से समभव्य (viable) योजना है जिससे न केवल राज्य के कृषकों को आर्थिक आय की प्राप्ति होती है, बल्कि राज्य के बीज उत्पादन के फलस्वरूप ऐसे प्रमाणित बीजों की निरंतर उपलब्धता बनी रहती है जो प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों पर किसानों को उपलब्ध होता है। इसके अलावा उत्पादित किए गए ऐसे प्रमाणित बीज राज्य के मौसम के अनुकूल होते है तथा इनके सफल होने की अधिक संभावना रहती है।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार के द्वारा प्रत्येक जिला में 5 बीज ग्राम संकूल (seed village cluster) विकसित करने का निर्णय लिया गया हैं।

प्रत्येक संकूल न्यूनतम 500 एकड़ का होगा एवं इसमें उपलब्ध संसाधनों को कृषि एवं गन्ना विकास विभाग के द्वारा प्राथमिकता देते हुए और सुदृढ़ किया जायेगा।

बीज ग्राम संकूल के चयन के क्रम में निम्नांकित आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखा जाए :

i) चयनित ग्रामों के कृषक प्रगतिशील किसान हो जिन्हें खाद, बीज तकनीकी का पर्याप्त जानकारी हो तथा जो इस योजना के तहत कार्य करने हेतु इच्छुक हो।

ii) उक्त ग्राम की भूमि उपजांउ होनी चाहिए जो राज्य की औसत उत्पादकता से अधिक हो।

iii) चयनित ग्रामों में सतत् सिंचाई (Continuous irrigation) की सुविधा होना श्रेयस्कर होगा।

iv) न्यूनतम 500 एकड़ भूमि लगातार (Continuous) होनी चाहिए।

v) इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले किसानों की संख्या न्यूनतम संख्या 50 और अधिकतम संख्या 150 होनी चाहिए।

बीज ग्राम संकूल के चयन के उपरांत उक्त संकूल के कषकों की समिति के साथ विभाग के द्वारा इस आशय का एम0ओ0यू0 किया जायेगा की राज्य सरकार के द्वारा ऐसे संकूल से क्या सुविधाएँ प्रदान की जायेगी तथा संकूल के कृषकों से राज्य सरकार की क्या अपेक्षाएँ है ?

राज्य सरकार के द्वारा संकूल को आधारित एवं प्रमाणित बीज 50 प्रतिशत अनुदानित दर पर उपलब्ध कराई जायेगी तथा उत्पादित बीजों का क्रय राज्य बीज क्रय नीति के अनुरूप किया जायेगा।

इन बीज ग्राम संकूलों में सिंचाई सुविधाएँ प्रदान करने हेतु प्राथमिकता के तौर पर राज्य सरकार के द्वारा समस्त आवश्यक उपाए किए जायेंगे। इसके अलावा उक्त संकूल को अच्छी खाद, कीटनाशक आदि की उपलब्धता भी सुनिश्चित करने हेतु कार्रवाई की जायेगी।

इसके अलावा चयनित कृषकों को राज्य सरकार के द्वारा प्रतिष्ठित संस्थाओं यथा कृषि विश्वविधालय, कृषि विज्ञान केन्द्र आचदि के माध्यम से प्रशिक्षित किया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार अन्य राज्यों/राज्य में अवस्थिति बीज ग्राम संकूलों का परिदर्शन कराया जायेगा।

तदनुसार निदेशित किया जाता है कि दिनांक 10.06.2010 तक अपने जिले के ऐसे 5 बीज ग्राम संकूल (न्यूनतम 500 एकड़ प्रति संकूल का चयन करते हुए सूचित किया जाए ताकि विभाग के स्तर से अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

विश्वासभाजन

सरकार के सचिव।